न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद प्रकारण संख्या 133/2019

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

1. चुन्नीलाल पुत्र भिराज जाति कुम्हार उम्र 84 वर्ष निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्ण लाल पुत्र चुन्नीलाल उम्र 50 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. कुलवीर पुत्र चुन्नीलाल उम्र 48 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबा हरद्वारी नाथ धर्माथ ट्रस्ट अध्यक्ष धर्मनाथ चेला बाबा शुभनाथ जाति नाथ निवासी चक 2 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. संजय कुमार पुत्र श्री बुधराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 18 चक 15 के.एस.डी. धीगतानियां हाल चक 16 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री काशीराम रणवा	– – प्रार्थीगण
2.	श्री दिनेश छाबडा	– – अप्रार्थी 1
3.	श्री राजेश गुम्बर	– – अप्रार्थी 2

दिनांक :–11.11.2019

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि चक 16 एम एल के मुरब्बा नं. 10 की 24–1/2 बीघा भूमि वादी सं. 1 के पिता व प्रार्थीगण सं. 2 व 3 के दादा श्री भिराज राम पुत्र श्री पूर्ण राम को भूमि के तत्समय के खातेदार मालिक ने ठेके पर काश्त के लिए सन् 1955 से साल दर साल दे रखी थी, और श्री भिराज इस भूमि पर बतौर कृषक इस भूमि को काश्त करते आ रहे थे और

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

इस भूमि की गिरदावरी मिराज के जीवनकाल तक मिराज के नाम से होती थी, और भूमि का सिंचाई पानी मिराज ही अपनी इस भूमि मे लगाता था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे सिलिंग कानून प्रभावी होने पर सिलिंग सीमा से अधिक भूमि काश्तकारो से ली जानी थी, बाबा हरद्वारी नाथ ट्रस्ट के पास उस समय सिलिंग सीमा से अधिक 1836.18 बीघा भूमि थी, इस पर ट्रस्ट के खिलाफ सिलिंग प्रकरण 7173/70 सरकार बनाम हरद्वारी नाथ ट्रस्ट के नाम से चला व इसमे बाबा हरद्वारी नाथ के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि मानी जाकर ट्रस्ट के पास सिलिंग सीमा तक 46.08 बीघा भूमि छोड़ते हुए शेष भूमि अधिग्रहण करने के आदेश उपखण्डाधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 11–07–1974 को दे दिये थे ओर इस अधिग्रहण आदेश से जो काश्तकारान ट्रस्ट की अधिग्रहित भूमि पिछले कुछ वर्षों से उनके कब्जा मे चली आ रही थी, उनको इस आदेश से 25,000/–रू ट्रस्ट मे जमा करवाने पर खातेदारी अधिकार देने का आदेश भी दे दिया गया था। ट्रस्ट की भूमि पर कुल 60 काश्तकार काबिज थे, इस आदेश मे उन 60 काश्तकारो को उनके नाम के आगे वर्णित मुरब्बा व उसकी भूमि मे खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। प्रार्थी सं. 1 के पिता व प्रार्थी सं. 2 व 3 के दादा श्री मिराज पुत्र पूर्ण राम को चक 16 एम एल को मुरब्बा नं. 10 की 24—1/2 बीघा भूमि पिछले 30 वर्षों से अधिक अवधि मे कब्जा मे मानी जाकर श्री मिराज को इस भूमि मे 25,000/–रूपये मुआवजा राशि देने पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे, और इस आदेश से क्रम सं. 34 पर श्री मिराज इस भूमि पर गैर खातेदार की हैसियत से बढ़कर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज हो गया था, आदेश की फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र है। इस आदेश के अनुग्रहण मे प्रार्थीगण की तरफ से इस मुरब्बे की कीमत पेटे काफी राशि जमा करवा दी गयी है। जिसकी तस्दीक पेश है। सिलिंग के प्रथम आदेश के बाद राज्य सरकार ने इस आदेश दिनांक 11–07–1974 को नये सिलिंग कानून की धारा 15(1) व (2) के अन्तर्गत पुनः खोल दिया, ओर इस अर्से मे राजस्थान सरकार ने राजस्थान उपनिवेशन गंग कैनाल भूमि आवंटन नियम 1956 मे संशोधन कर दिया ओर इस संशोधन से ट्रस्ट की भूमि पर काबिज कृषक को Temprary Tenant माना और उन्हें उनके कब्जा की भूमि को आवंटन करवाने का अधिकारी मानते हुए उन काश्तकारो को भूमि आवंटन आवेदन पत्र देकर आवंटन करवाने का नियम जोड़ दिया था, सिलिंग प्रकरण पुनः खुलने पर अधिकृत अधिकारी अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर ने ट्रस्ट के विरूद्ध पूर्व मे दिनांक 11–07–1974 को निर्णित प्रकरण पर पुनः विचार करते हुए इसका निर्णय दिनांक 26–09–1994

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

को किया, और इस निर्णय से भी ट्रस्ट के पास 46.08 बीघा भूमि छोड़ते हुए 1836.18 बीघा शेष भूमि अधिग्रहण करने का जो आदेश दिया था, उसको सही माना परन्तु 25,000/–रूपये प्रति मुरब्बा काश्तकारो को खातेदारी अधिकार देने के आदेश को सही नही माना और आदेश दिनांक 11–07–1974 मे वर्णित मुजारो को भूमि आवंटन का आवेदन पत्र देकर संशोधित नियमानुसार भूमि आवंटन करवाने का निर्देश दे दिया, इस आदेश की क्रम सं. 34 पर वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 व 3 के दादा भिराज पुत्र पूर्ण को मुरब्बा नं. 10 की 24–1/2 बीघा भूमि पर काबिज मानकर इस भूमि को आवंटन करने का निर्देश दे दिया था। इस प्रकार भिराज वादग्रस्त मुरब्बा नं. 10 की 24–1/2 बीघा भूमि पर संशोधित नियमानुसार Temprory Tenant की हैसीयत से काबिज चला आ रहा था, और इसकी हैसीयत एक गैर खातेदार Tenant के रूप में थी। वादी सं. 1 के पिता श्री भिराज का देहान्त सन् 1995 मे हो गया था, ओर उनके देहान्त के उपरान्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जा मे उनके पुत्र व पौत्र होने से बतौर गैर खातेदारी कातश्कार दर्ज चली आ रही है। चक 16 एम एल के मुरब्बा नं. 10 की 24–1/2 बीधा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा बतौर गैर खातेदार की हैसीयत से चल रहा है। इस कृषि भूमि का कब्जा नहरी गिरदावरी मे प्रार्थीगण का दर्ज किया जाता आ रहा है। इस भूमि की पानी की पर्ची प्रार्थी सं. 1 चुन्नीलाल व मृतक पिता भिराज दोनो के नाम से बांधी जाकर प्रार्थीगण को दी जा रही है। प्रार्थीगण के कब्जा के संबंध मे तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी समय समय पर दी जा रही है। प्रार्थीगण ने संशोधित गंगकैनाल नियमो के अनुसरण मे वादग्रस्त भूमि को आवंटित करवाने का आवेदन पत्र उपखण्डाधिकारी महोदय श्रीगंगानगर द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र देने की अधिसूचना दिनांक 05–07–1991 को जारी की गई थी, इसके अनुसरण मे प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था, प्रार्थीगण के इस आवेदन पत्र पर तहसीलदार हल्का व पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत ने 16 एम एल के मुरब्बा नं. 10 की 24–1/2 बीघा भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का माना गया था। सिंचाई विभाग द्वारा पानी की पर्ची उपरोक्त वर्णन अनुसार प्रार्थीगण को दी जाती रही है, सिंचाई के संबंध जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष बनने पर अध्यक्ष ने भी प्रार्थीगण का कब्जा मानते हुए पानी की पर्ची प्रार्थीगण के नाम से जारी की है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि चक 16 एम एल मुरब्बा नं. 10 की 24–1/2 बीघा का प्रार्थीगण का अपने पूर्वजो सहित सन् 1955 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि सिलिंग मे अधिग्रहित की जाकर ट्रस्ट के नाम से काटी जाकर काश्तकारो के नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

पुख्ता आवंटित होने पर खातेदारी दर्ज की जानी है। वादग्रस्त भूमि को पुख्ता आवंटन का आवेदन पत्र प्रार्थीगण का माननीय न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 04–12–2018 को विधि विरूद्ध अस्वीकार कर दिया था, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने अपील राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के यहां दिनांक 10–12–2018 को प्रस्तुत कर दी थी, जो वहां लम्बित चल रही है। भूमि राजस्व रिकार्ड मे ट्रस्ट के नाम चलने से ओर प्रार्थीगण का भूमि पुख्ता आवंटन का आवेदन पत्र विचारणीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर देने से अप्रार्थी सं. 1 ट्रस्ट व उसके पदाधिकारियो के मन में बदयान्ति घर कर गई। वादग्रस्त मु.नं. 10 पर प्रतिप्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है और न वर्तमान मे है भूमि 1955 से ही निरन्तर प्रार्थीगण व उनके पूर्वज भिराज के कब्जा मे चली आ रही हैं वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त भूमि श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने व श्रीगंगानगर शहर के समीप होने से अत्याधिक कीमती होने के कारण प्रतिवादी ट्रस्ट व उसके पदाधिकारियो द्वारा वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण के कब्जा मे जबरदस्ती हस्तक्षेप करने व प्रार्थीगण को बेदखली करने व भूमि पर काबिज होने की पूरी कोशिश में लगे हुए है और भू–माफियो व आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियो को साथ लेकर जीपो व ट्रैक्टरो पर सवार होकर वादग्रस्त भूमि मे चारो ओर घुमते रहते है व इस प्रयास मे वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण की काश्त की गई गवार की फसल नष्ट कर दी थी, जिस पर प्रार्थीगण ने पुलिस थाना सदर मे एफ.आई.आर. सं. 169 दिनांक 06–06–2019 को दायर करवा दी थी, जिस पर पुलिस ने बाद जांच प्रतिवादी ट्रस्ट के अध्यक्ष धर्मनाथ व अप्रार्थी सं. 2 संजय कुमार व दलीप कुमार व विनोद कुमार व बिन्द्र का चालान साक्ष्य न्यायालय मे आई.पी.सी. की धारा 447, 147, 427 व 120–बी के अन्तर्गत पेश कर दिया है व माननीय फौजदारी न्यायालय ने इन तमाम अभियुतगण पर दिनांक 27–06–2019 को आरोप विरचित कर सुना दिये गये है और कार्यवाही लम्बित है। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश मे एक नाजायज साजिश की रचना की है और प्रतिवादी सं. 1 ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबा धर्मनाथ चेला शुभनाथ ने वादग्रस्त मुरब्बा नं. 10 का एक ठेकानामा दिनांक 28–11–2018 से अप्रार्थी सं. 2 के नाम 2 साल के लिए ठेका पर देना दर्शाते हुए एक ठेकानामा तहरीर कर अप्रार्थी सं. 2 को दिया और इस ठेकानामा के आधार पर अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के कब्जा मे हस्तक्षेप करने से रोकने के फर्जी व झूठा दावा माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करवाया। वादग्रस्त चक 16 एमएल के मुरब्बा नं. 10 की 24–1/2 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का व इनसे पूर्व इनके

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

पूर्वज भिराज का सन् 1955 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण का इस सम्पति पर कब्जा बतौर गैर खातेदार चला आ रहा है इस भूमि मे प्रार्थीगण ने सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए किला नं. 1 मे अपना ट्यूबवैल लगा रखा है और किला नं. 25 मे आबादी के नजदीक अपना रिहायशी मकान बना रखा है। प्रार्थीगण ने इस भूमि मे किला नं. 1 व 2 आधे मे ज्वार, किला नं. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 मे नरमा व किला नं. 14, 16, 17, 24, 25 मे ग्वार की फसल काश्त कर रखी है। ग्वार की फसल को प्रतिवादी ने नुकसान पहुंचा दिया है उपरोक्त प्रकार से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि मे फसल काश्त की हुई है और अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा की भूमि मे हस्तक्षेप कर कब्जा करने की कोशिश मे है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के कब्जा को सुरक्षित रखने के अधिकारी है यदि प्रतिप्रार्थीगण विधि विरूद्ध ढंग से जोर जबरदस्ती से प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देते है व स्वयं काबिज हो जाते है तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण शान्तिप्रिय काश्तकार है। अप्रार्थीगण ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है, और वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण की पककर तैयार फसल को हड़प करने के प्रयास मे है। अप्रार्थीगण बाहुबली, प्रभावशाली आदमी है, जो प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं, अप्रार्थीगण के विरूद्ध एफ.आई.आर. सं. 169/19 पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर व एफ.आई.आर. संख्या 295/2019 पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर दर्ज हो चुकी है और प्रार्थीगण की काश्त की गई फसल ग्वार को काटकर खेत मे इक्टठी कर दी है। मौके पर खेत मे फसल पड़ी है जिसकी फोटो संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.सी.ए. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 16 एम एल के मुरब्बा नं. 10 की 24-1/2 बीघा भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत न कर बहस करने का निवेदन किया गया।

बहस विद्वान अभिभाषकगण द्वारा सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि से सम्बन्धित एक अन्य वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी.ए. का इस न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है, जो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

वर्तमान में विचाराधीन है। वर्तमान में भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण खातेदार अथवा गैरखातेदार नहीं है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 11.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बी रैथ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.27 17:30:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: